पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 66/2019

अनवान :

1. सुनीलकुमार पुत्र सजनकुमार जाति जाट निवासी गुन्जासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. सजनकुमार पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी गुन्जासरी तहसील भादरा।
2. सुभन पुत्री सजनकुमार जाति जाट निवासी गुन्जासरी तहसील भादरा।
3. सुनीता पुत्री सजनकुमार जाति जाट निवासी गुन्जासरी तहसील भादरा।
4. सुषमा पुत्री सजनकुमार जाति जाट निवासी गुन्जासरी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गुन्जासरी तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 80/83 के खसरा सं. 50 की 20.240 हैक्टर, खसरा सं. 55 की 2.757 हैक्टर, खसरा सं. 69 की 1.088 हैक्टर कुल किता 3 की 24.085 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सजनकुमार के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज भूमि मे से प्रतिवादी सजनकुमार का नाम कलमजन कर उक्त 1/5 हिस्सा भूमि का वादी सुनीलकुमार खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी सुनीलकुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाल की मुद्रा से जारी की गई।

16.08.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 66/2019

अनवान :

1. सुनीलकुमार पुत्र सजनकुमार जाति जाट निवासी गुन्जासरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. सजनकुमार पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी गुन्जासरी तहसील भादरा।
2. सुमन पुत्री सजनकुमार जाति जाट निवासी गुन्जासरी तहसील भादरा।
3. सुनीता पुत्री सजनकुमार जाति जाट निवासी गुन्जासरी तहसील भादरा।
4. सुषमा पुत्री सजनकुमार जाति जाट निवासी गुन्जासरी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी **: वादी**

वकील श्री विक्रम शर्मा **: प्रतिवादी सं0 1 ता 4**

निर्णय **दिनांक :** 16.08.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गुन्जासरी तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 80/82 के खसरा सं. 50 की 20.240 हैक्टर, खसरा सं. 55 की 2.757 हैक्टर, खसरा सं. 69 की 1.088 हैक्टर कुल किता 3 की 24.085 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सजनकुमार के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। प्रभाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2073–76 संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा कुरडाराम की खातेदारी हुआ करती थी। वादी के दादा के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि का विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी सजनकुमार ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होने के चलते उसमें वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 का जन्म से हक एवं अधिकार है। वादभूमि की दादालाई जमाबंदी सम्वत 2019 की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद है।

वादभूमि के संबंध में वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 ने वादभूमि में अपना हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया तथा प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा में रोही डुगराना, धोलपालिया एवं चक 9 बीएचडी में स्थित भूमि आ गई थी तथा उक्त वादभूमि जो प्रतिवादी सजनकुमार के नाम से दर्ज है वह सम्पूर्ण वादी के हिस्सा में आ गई थी तथा इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सजनकुमार की कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में आज भी कुल वादभूमि प्रतिवादी सजनकुमार के नाम से ही दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने अपना राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 5 पेरोकारराज ने जबाबदावा पेश किया। जवाबदावा पेश होने के बाद तनकी कायम की गयी।

16.08.19
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

1. आया कि वाद भूमि रोही गुन्जासरी के 80/82 के खसरा सं. 50 की 20.240 हैक्टर, खसरा सं. 55 की 2.757 हैक्टर, खसरा सं. 69 की 1.088 हैक्टर कुल किता 3 की 24.085 हैक्टर बारानी खातेदारी में सजनकुमार के नाम से 1/5 हिस्सा का वादी खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 को उक्त वादभूमि में कोई हक हिस्सा नही है? — वादी
2. अनुतोष

तनकीयात कायम करने के बाद साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 सुनीलकुमार पुत्र सजनकुमार जाति जाट निवासी गुन्जासरी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी प्रमाणित प्रति रोही गुन्जासरी खाता संख्या 80/82 सम्वत 2073–76 प्रदर्श 1, प्रमाणित जमाबन्दी रोही गुन्जासरी सम्वत 2019 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत राजपुरा प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाऐ।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा कुरडाराम की खातेदारी हुआ करती थी। कुरडाराम के देहान्त होने पर कर्ता खानदान होने के चलते वादभूमि प्रतिवादी सजनकुमार ने तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा ली। वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने वादभूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह वादी के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा गुन्जासरी तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 80/82 के खसरा सं. 50 की 20.240 हैक्टर, खसरा सं. 55 की 2.757 हैक्टर, खसरा सं. 69 की 1.088 हैक्टर कुल किता 3 की 24.085 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सजनकुमार के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित करवाने प्रस्तुत किया है तथा वादी के द्वारा साक्ष्य में जो दस्तावेजात पेश किये गये है उससे साबित होता है कि वादभूमि दादालाई सम्पति है । इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा साबित होने पर डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गुन्जासरी तहसील भादरा के वर्तमान खाता संख्या 80/82 के खसरा सं. 50 की 20.240 हैक्टर, खसरा सं. 55 की 2.757 हैक्टर, खसरा सं. 69 की 1.088 हैक्टर कुल किता 3 की 24.085 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सजनकुमार के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज भूमि मे से प्रतिवादी सजनकुमार का नाम कलमजन कर उक्त 1/5 हिस्सा भूमि का वादी सुनीलकुमार खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी सुनीलकुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़